कृषि अनुसंधान उप केन्द
AGRICULTURAL RESEARCH SUB STATION
अकलेरा– 326033 जिला – झालावाड (राजस्थान)
AKLERA- 326033 dist. JHALAWAR (Rajasthan)
(कृषि विश्वविद्यालय, कोटा)
(AGRICULTURE UNIVERSITY, KOTA)
Pradeep Kumar प्रदीप कुमार
Officer Incharge प्रभारी अधिकारी
Email: arssaklera@gmail.com Mobile No. 9785505909

F.17( )/AUK/Unserviceable Auction/ARSS/Aklera/2025/ 1448-52 Date : 01.01.2025

नीलामी सुचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अनुपयोगी सामान, 01 अनुपयोगी ट्रेक्टर सहित की नीलामी खुली बोली द्वारा दिनांक 15.01.2025 को दोपहर 1:00 बजे इस कार्यालय के कार्यालय परिसर में गठित कमेठी के समक्ष जैसा है, जहाँ है के आधार पर की जायेगी।

कार्यालय में विद्यमान नाकारा/अनुपयोगी सामान, अनुपयोगी ट्रेक्टर सहित का आरक्षित मूल्य रूपये 1,38,896/– रू है। कोई भी इच्छुक, बोलीदाता नीलामी से पूर्व अमानत राशि रूपये 2800/– नगद अथवा प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, अकलेरा, के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अकलेरा के खाता संख्या 61232596424, IFSCode – SBIN0031269 में जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी की शर्तों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर या http://sppp.rajasthan.gov.in तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://aukota.org से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
2. निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
3. नोडल अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को नीलामी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड, पंचायत समिति, अकलेरा, झालावाड।
5. नोटिस बोर्ड, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, अकलेरा, झालावाड।

प्रभारी अधिकारी

नीलामी की शर्तेः—

1. नीलामी में बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व अमानत राशि के रूप में रूपये 2800/— नगद अथवा प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, अकलेरा, के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अकलेरा के खाता संख्या 61232596424, IFSCode – SBIN0031269 में जमा करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में कोई भी बोलीदाता नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
2. निविदादाता के पास आयकर का पेन (PAN) व आधार होना आवश्यक है तथा उक्त दस्तावेज की सत्यापित प्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी अथवा माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी) पंजिकरण होना चाहिए।
3. सफल बोलीदाता (उच्चतम बोलीदाता) जिसके नाम बोली स्वीकृत की जावेगी को सामान की पूरी राशि उसी समय अमानत राशि को कम करते हुए कार्यालय में जमा करवाकर सामान को उसी दिन (ट्रैक्टर पांच दिनों के भीतर) स्वयं के खर्चे पर कार्यालय समय में उठाना होगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी नियमानुसार वापस कर दी जाएगी। उसके बाद सामान की इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तथा राज्य सरकर द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार नियमानुसार कर (टेक्स) लागु होगा जो क्रेता को वहन करना होगा।
4. अगर नीलामी में उचित राशि प्राप्त नहीं होती है तो नीलामी कमेठी को नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. नीलामी कमेटी बिना कारण बतायें किसी भी बोली को अस्वीकार कर सकती है।
6. शर्तों में किसी भी प्रकार की कमी व बढ़ोतरी उपस्थित कमेटी द्वारा की जा सकती है।
7. नाकारा अनुपयोगी सामान जहाँ है जैसा है नीलाम किया जायेगा।
8. नाकारा अनुपयोगी सामान, अनुपयोगी ट्रेक्टर का अवलोकन कार्यालय समय में कभी भी किया जा सकता है।
9. अन्तिम बोली पर बोली छोडने अथवा न छोड़ने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
10. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र अकलेरा होगा।
11. नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल बोलीदाता को जीएसटी सहित पूर्ण भुगतान करने के बाद सामान उठाना होगा।

प्रभारी अधिकारी

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने नीलामी की सामान्य नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है तथा मैं/हम सामान्य नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं मुहर